तत्काल निर्वाचन

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0. 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2017 दिनांक: 20 जुलाई, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
नागालैण्ड
कोहिमा।

विषय: राज्य विधान सभा 2017 हेतु उप-निर्वाचन-एग्जिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे आयोग की दिनांक 20 जुलाई, 2017 की अधिसूचना संख्या 576/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/2017 इस अनुरोध सहित इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाया जाए और उसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

इसे समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

(अभिषेक तिवारी)
अनुभाग अधिकारी

भारत सरकार एवं नागालैण्ड राज्य
के शासकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-**110001**

सं**0. 576**/एग्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड-।।/**2017** दिनांक**: 20** जुलाई, 2017

अधिसूचना

यत**:** नागालैण्ड राज्य की विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन की घोषणा आयोग के दिनांक **29** जून, 2017 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/**53/2017** के द्वारा की जा चुकी है।

2. और यत**:** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **126**क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध होगा।

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा **126**क की उप-धारा **(1)** के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा **(2)**(ख**)** के उपबंधों के संबंध में एतद्द्वारा दिनांक **29.07.2017** (शनिवार**)** को **पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराहन 04.30 बजे** के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक **29** जून, 2017 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/**53/2017** के द्वारा घोषित **नागालैंड में 10-उत्तरी अंगामी-। (अनुसूचित जनजाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** से उक्त उप-निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **126(1)(**ख**)** के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों के लिए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत अवधि के साथ समाप्त होने वाले **48** घंटो की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

(के.एफ.विल्फ्रेड)
व. प्रधान सचिव